न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 31/2014

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 पुखराज पुत्र डालूराम 2 गिरधारी पुत्र डालूराम 3 जगदीश पुत्र डालूराम जाट निवासीगण बुरडी, तहसील जायल जिला नागौर।		1 झणकारी पत्नी गोरधनराम जाति मेघवाल निवासी रामसिया तहसील व जिला नागौर। 2 तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 17.08.2022

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार जायल द्वारा मौजा डेह के प्रकरण संख्या 02/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2014 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.06.2014 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 18.06.2014 मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 11.02.2014 की फोटोप्रति, बेचाननामा (मूलाराम बहक मोहम्मद युसुफ) की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 29.09.2010 (मोहम्मद युसुफ बहक पुखराज) की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर जायल के फर्द अहकाम दिनांक 31.08.2012 से 15.05.2014 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, मौका कमीश्नर रिपोर्ट की फोटोप्रति, फोटो–4 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2013 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश जायल के प्रकरण संख्या 07/14 पुखराज बनाम झणकारी के निर्णय दिनांक 30.01.2019 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश जायल के प्रकरण पुखराज बनाम झणकारी के निर्णय दिनांक 11.12.2019 की फोटोप्रति, विशिष्ट न्यायालय गेडता के प्रकरण राज्य बनाम पुखराज के फर्द अहकाम दिनांक 31.08.16 से 06.01.2021 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.07.12 की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति, चार्जशीट संख्या 32/15 की पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता से प्रकरण की सुनवाई की तारीख 15.07.2014 बताई गई, मगर रेस्पोडेन्ट ने तत्कालीन तहसीलदार जायल से मिलावट करके स्थानान्तरण होने के पश्चात अपीलांट को सूचना दिये बिना ही दिनांक 11.02.2014 को यह पोशीदा निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी प्रथम बार दिनांक 05.06.2014 को जायल गया और अपने वकील से मिला तो उन्होने 15.07.2014 को तारीख पेशी होना बताया तब मैंने फैसला कर देने की चर्चा सुनने का कहा व अपने वकील को पता कर देने को कहा, तो पता चला कि अपीलांट से इतला किये बिना ही दिनांक 11.02.2014 को फैसला कर दिया है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो अवैध है तथा अन्य दस्तावेजों की नकले इक्कठी करके दिनांक 12.06.2014 को सम्पूर्ण नकले व आदेश की नकले लाकर नागौर में वकील साहब को दी जिन्होने अपील तैयार करके अपील पेश की। जानकारी के दिन से प्रार्थीगण की अपील अन्दर मियाद पेश है जिसको अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है।

अपर कलक्टर, नागौर

अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व, सामान्य न्याय प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विरूद्व पारित किया हुआ होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–खेत खसरा नम्बर 1085 वाके मौजा डेह तहसील जायल का राजस्व रेकर्ड अनुसार कुल रकबा 140 बीघा 2 बिस्वा था, जो ग्राम डेह के पूर्व जागीरदार किशनसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी डेह की खातेदारी में था, उपरोक्त खातेदार किशनसिंह ने उक्त खेत में से दक्षिण की तरह का 70 बीघा 2 बिस्वा रकबा वीरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी रोडा तहसील सवाईमाधोपुर को विक्रय कर दिया। उपरोक्त खेत के अंतिम व वर्तमान खातेदार सोहनराम पुत्र जोराराम व झूमरराम पुत्र जोराराम निवासी झाडेली है और उक्त 70 बीघा 2 बिस्वा रकबे के वर्तमान खसरा नम्बर 1085 है।

{2}(III)–खसरा नम्बर 1085 में से जो रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा मूलाराम के बंट व खातेदारी का सहायक कलक्टर, जायल द्वारा घोषित किया गया था, उसके नये खसरा नम्बर 1085/1900 कायम किये गये और इस रकबे के पडौस निम्न प्रकार है– उत्तर में फतेहसिंह राजपूत का खेत, दक्षिण में इसी खसरे का 10 बीघा रकबे में से नागौर से लाडनू जाने वाली सडक (नेशनल हाईवे नम्बर 65) पूर्व में तिलोकराम के बंट का खेत खसरा नम्बर 1085/1899 व पश्चिम में दोतलसिंह का खेत खसरा नम्बर 1079 है। मूलाराम ने उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा का बेचान दिनांक 31.03.2008 को मोहम्मद युसुफ अहमद नागानी पुत्र अहमद हासम नागानी जाति मुसलमान निवासी बान्द्रा रोड पश्चिम मुम्बई को विक्रय कर दिया और उक्त विक्रयपत्र की पालना में उपरोक्त पडौस बीच के 16 बीघा 15 बिस्वा रकबे का कब्जा खरीददार मोहम्मद युसुफ नागानी को प्राप्त हो गया। खसरा नम्बर 1085/1900 का विक्रय पत्र के साथ तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये नक्शे की प्रति पेश की। उपरोक्त खरीददार मोहम्मद युसुफ नागानी ने खसरा नम्बर 1085/1900 के उतर का खसरा नम्बर 1085 फतेहसिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत निवासी डेह से दिनांक 31.03.2008 को खरीदा था। फतेसिंह ने उक्त विक्रय पत्र में दक्षिण व पूर्व में खसरा नम्बर 1085/1900 के खातेदार मूलाराम को पडौसी बताया है। इसी प्रकार दिनांक 08.05.2008 को मोहम्मद युसुफ अहमद नागानी ने दौलतसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी डेह से खसरा नम्बर 1085/1900 के पश्चिम का खेत खसरा नम्बर 1079 खरीदार था। उक्त विक्रय पत्र में भी पूर्व में मोहम्मद युसुफ नागानी का खेत बताया गया है। जो उसने मूलाराम से खरीदा था। उपरोक्त फतेसिंह व दोलसिंह द्वारा विक्रय पत्रों के साथ पटवारी हल्का से सत्यापित जो नक्शे पेश किये गये है उनमें भी खसरा नम्बर 1086 के दक्षिण व पूर्व में तथा खसरा नम्बर 1079 के पर्वू में वादग्रसत खसरा नम्बर 1085/1900 का रकबा 16.15 बीघा की मौके पर स्थिति न्यायालय सहायक कलक्टर जायल द्वारा मुकदमा नम्बर 493/86 में दिनांक 26.9.86 को पारित निर्णय से सुस्पष्ट हो गया है क, उक्त खसरा के 16.15 बीघा पर मूलाराम का कब्जा किस स्थान पर था।

उपरोक्त खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 16.15 बीघा वाके मौज़ा डेह की भूमि दिनांक 29.9.10 को मोहम्मद युसुफ अहमद नागानी से अपीलांट पुखराज, जगदीश व गरीबराम ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त खेत के अलावा अपीलांटस ने खसरा नम्बर 1087, 1087/1914, 1087/1915, 1086, 1078 व 1079 की भूमि खरीद कर मौके पर 95 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबे का एक ही खेत बनाकर चारों तरफ धोरा बना दिया है और खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 16.15 बीघा में खसरा नम्बर 1079 की सीमा के पूर्व में ढाणी भी बना दी है। जो रहवास के उपयोग में आती है। उक्त 95 बीघा 19 बिस्वा रकबे पर लालाराम पुत्र संग्राम कौम भांबी अथवा उसके उतराधिकारीयों का उक्त रकबे की बेनामी खरीददार रेस्पो. संख्या 1 झणकारी का कब्जा कभी नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 16.15 बीघा वाके मौजा डेह तहसील जायल व जिला नागैर का पटवारी द्वारा विभाजन के पश्चात् तैयार किये गये नक्शे व मौके पर पूर्व खातेदारों व वर्तमान में अपीलांट्स द्वारा खरीद सुदा जायंगा पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। जिन तथ्यों पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–मूल खसरा नम्बर 1085 का 20 बीघा रकबा मूल खातेदार किशनसिंह के पास रहा, उसमें से 10 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 में चली गई और 10 बीघा भूमि किशनसिंह के विरूद्व राज्य सरकार ने सिलिंग की कार्यवाही करके अवाप्त करने का आदेश पारित किया था। उक्त निर्णय की पालना में अवाप्त की जाकर राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज कर ली गई और उक्त भूमि सन् 1976 में लालाराम पुत्र संग्राम कौम भांबी को आवंटन कर दी गई। मगर उक्त आवंटन की पालना में न तो आंवटी लालाराम का कब्जा रहा और नही खसरा नम्बर 1085 पर उसको काश्त करते किसी ने देखा तथा खसरा नम्बर 1085 के नक्शे में भी खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 10 बीघा को कहीं दर्शाया गया नहीं था। वास्तव में सन् 2005 से 2008–09 तक ग्राम पंचायत डेह का सरपंच खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 10 बीघा का वास्तविक मालिक पुखराज का पिता सुगनाराम जाट (छाबा) रहा था। इसी दौरान पुखराज ने खसरा नम्बर 1085/2 के आवंटी लालाराम के उतराधिकारी जीयाराम, दयालराम, डूंगरराम, पिसरान, लालाराम व नारायणी पत्नी लालाराम कौम भाम्बी निवासी रामसिया तहसील व जिला नागौर के नाम से एक बेनामी विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का से मिलकर बिना कब्जे के ही झणकारी के नाम करवाकर अपने पिता सुगनाराम से स्वीकृत करवा लिया। तत्पश्चात् उक्त पुखराज व झणकारी अपीलांटस के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1085/1900 पर कब्जा करने की नियत से पटवारी हल्का से मिलकर षडयंत्र किया और खसरा नम्बर 1085/1900 के नक्शें में कांट छांट व कूटरचना करके पश्चिम की तरफ का हिस्सा अलग लाईने खींच कर अलग बताते हुए उक्त रकबे का खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 10 बीघा दर्शा दिया। जबकि, खसरा नम्बर 1085/1900 के पश्चिम में खसरा नम्बर 1079 व 1086 की भूमि थी और उत्तर में खसरा नम्बर 1086 व 1087 तथा खसरा नम्बर 1111 और इन पडौस बीच का रकबा 16.15 बीघा है। खसरा नम्बर 1085/1900 के पश्चिम में खसरा नम्बर 1085/2 का उल्लेख कर खसरा नम्बर 1085 /1900 के पश्चिम और खसरा नम्बर 1079 के पूर्व में दर्शाया गया, उक्त सारी कार्यवाही पुखराज छाबा ने अपीलांटस के कब्जे व खातेदारी की भूमि को अनुसूचित जाति की महिला के माध्यम से हडपने के लिए की थी। इसके पश्चात् पुखराज छाबा ने झणकारी से खसरा नम्बर 1085/1900 की भूमि को खुर्द बुर्द करवाने व अपने नाम विक्रय पत्र निष्पादित करवाने की नियत से उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष खसरा नम्बर 1085/2 में से 50x50 मीटर कुल 2500 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के संबंध में ग्राम पंचायत डेह का फर्जी अनापति प्रमाण पत्र अपने पिता के हस्ताक्षर होना बताते हुए पेश किया। जबकि दिनांक 20.12.2009 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 के आधार पर जारी अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2009 के हस्ताक्षर मिलाने से स्पष्ट है कि, उक्त हस्ताक्षर सुगनाराम सरपंच ग्राम पंचायत डेह के नहीं है। रेस्पो. संख्या 1 झणकारी द्वारा भूमि रूपान्तरण के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पर किसी प्रकार की जांच नहीं की गई और न ही समक्ष अधिकारी के समक्ष उक्त आवदेन पत्र पेश किया गया था। एस.डी.ओ. जायल ने किसी प्रकार की विधिवत जांच किये बिना व बिना कब्जे के कथित खसरा नम्बर 1085/2 वाके मौजा डेह में से 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि रेस्पो. सख्या 1 झणकारी के हक में आवासीय प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन का आदेश दिनांक 5.3.2010 को पारित कर दिया गया। रेस्पों. संख्या 1 झणकारी ने खसरा नम्बर 1085/2 रकबा 10 बीघा भूमि को गलत तौर से खसरा नम्बर 1085/1900 के स्थान पर दर्शाया गया है और संपरिवर्तन के आवेदन के साथ तत्कालीन पटवारी से कूटरचना करके तैयार करवाये गये नक्शे व नक्शें की नकल तथा बिना कब्जे के आवेदन के साथ संलग्न ब्ल्यू प्रिंट में 2500 वर्ग मीटर भूमि अपनी खातेदारी व कब्जे की दर्शाते हुए जो आवेदन पेश किया उक्त आवेदन पर न तो कोई प्रस्तुत करने की दिनांक का उल्लेख है न ही प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है उक्त भूमि रूपान्तरण की सारी कार्यवाही पोशीदा व धोखाधडी तथा कूटरचना करके की गई है। उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 05.03.2010 को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर मे अपील पेश कर रखी है। जिन तथ्यों को छिपाकर रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही केवल मात्र रेस्पो संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. संख्या 1 का किस स्थान पर कब्जा माना व अपीलांटस द्वारा किस स्थान पर कब्जा किया हुआ है इस बात की भौतिक जांच पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर जांच करने पर स्पष्ट हो पाती, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की रिपोर्ट मंगवाई और न ही दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 के आवेदन के आधार पर अपीलांट्स को अनुसूचित जाति की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का अवैध व शून्य आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–वास्तव में अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 16.15 बीघा की मौके की स्थिति अपील के पैरा संख्या 3 में उल्लेखित पडौसियों के अनुसार आज तक रहती आई है और वर्तमान में भी इसी अनुसार अपीलांट्स का कब्जा काश्त है, इसके अलावा पूर्व पटवारी ने अपने पास के नक्शें में भी विभाजन के पश्चात् उपरोक्त खसरा की भूमि इसी स्थान पर दर्शाई थी। जिसकी पुष्टि पूर्व खातेदार मूलाराम द्वारा दिनांक 31.03.2008 को मोहम्मद युसुफ अमद नागानी के विक्रयपत्र के साथ प्रस्तुत किये गये पटवारी के सत्यापित नक्शे से भी होती है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है।

{2}(VII)– अपीलांट संख्या 2 गिरधारी को उक्त प्रार्थना पत्र की न तो सूचना दी गई और न ही उसकी तामिल करवाई गई न ही वह अपने भाईयों के शामिल में रहता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की पर्याप्त तामिल करवाये बिना ही व उसे सुनवाई का प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार अवसर दिये बिना ही उसके विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VIII)– रेस्पो. झणकारी प्राईमापेशी खातेदार नहीं है न ही रेस्पो. संख्या 1 का कभी कब्जा काश्त रहा। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में किसी भी प्रकार से नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की साक्ष्य लिये बिना ही मामला रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में मानने में कानूनी व वाकीयाती भूल की है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है।

{2}(IX)– रेस्पो. झणकारी का विवादग्रस्त जायगा पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, केवल मात्र गलत तथ्यों के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मयाद बाहर आवेदन पेश किया। जिस पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को तय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(X)– रेस्पो. संख्या 1 के उक्त आवेदन के समर्थन में न तो रेस्पो. संख्या 1 स्वयं की सशपथ साक्ष्य ली गई और न ही पडौसियान के बयान दर्ज किये गये और न ही मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। जबकि, वास्तव में जिस जायगा को रेस्पो. संख्या 1 अपनी भूमि बता रही है वहां पर कभी न तो रेस्पो. संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा और न ही उक्त भूमि पर लालाराम व उसके उतराधिकारीयों का कब्जा रहा और न ही उक्त खसरा की भूमि अपीलांट्स के खेतों के पास में स्थित है। जब रेस्पो. संख्या 1 ने विवाद शुरू किया, तब अपीलांट संख्या 1 व 3 ने सहायक कलक्टर जायल के समक्ष वाद पेश किया, जो अभी विचाराधीन हैं तथा उसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है और उक्त वाद मे तहसीलदार जायल भी पक्षकार हैं। इसमें बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचाराधीन रहते व स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य हैं।

{2}(XI)– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व सिविल न्यायालय (क.ख.) जायल में भी उक्त भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन हैं। जिसमें न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुंक्त किया गया हैं जिसके द्वारा भी मौका देखने पर ए, बी, सी, डी, एक ही चक के रूप में खेत बताया गया हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो दस्तावेजी साक्ष्य ली और न ही सशपथ बयान लिये, बिना किसी आधार के व अपीलांटस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अवैध होने से खारिज होने योग्य हैं।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि अपीलाट्स ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलाट्स को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश जायल के प्रकरण संख्या 7/14 पुखराज बनाम झणकारी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी में जो दावा अपीलांट ने किया वो भी न्यायालय ने खारिज किया है तथा अपने कथन के समर्थन मे सिविल कोर्ट केसेज 2012 (2) पेज 1 से 9, आरबीजे 2010 पेज 289 तथा आरबीजे 2012 पेज 686 नजीरे पेश की।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना अभिलेख से साबित है। प्रस्तुत मामले में आराजी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम होना रिकार्ड से साबित है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 अनुसूचित जाति की महिला है। इस बिन्दु को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। धारा 183बी के तहत समरी ट्रायल की कार्यवाही होती है। जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में यह बखूबी साबित है कि निर्विवाद रूप से रेस्पोडेन्ट सं.1 अनुसूचित जाति की महिला है, जिनकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है। जिन्हें आराजी भूमि से बेदखल किये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत पारित किये जाने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर